राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझोता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, मानीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझोता को अधिक महत्व दिया गया है।

ऐसी स्थिति में, प्रस्तुत अभिलेख जमाबन्दी सम्बत 2069 से 2072 व नामान्तरणकरण संख्या 33 व 209 की प्रमाणित प्रतियां चक 11 एच एच का खाता संख्या 39/42 का मुरब्बा नम्बर 3, 16 व 17 की कुल 13.838 है0 नहरी में से 6.792 है0 कृषि भूमि जिसमें पारिवारिक बंटवारा/राजीनामा अनुसार वादी

निर्वेन्द्र सिंह बराड़ व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 रघुवीर सिंह, जसवीर सिंह, बलजिन्द्र सिंह, सुखदेव सिंह व मलकीत सिंह 6.072 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि बहिस्सा बराबर प्राप्त करने की अधिकारी है । राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 7 इस भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है तथा प्राकृतिक स्नेहवश अपने हिस्सा का परित्याग वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 के हक में करती है।

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 18 जून 2019 के अनुसार वादी श्री निर्वेन्द्र सिंह बराड़ व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 रघुवीर सिंह, जसवीर सिंह, बलजिन्द्र सिंह, सुखदेव सिंह व मलकीत सिंह को चक 11 एच एच का खाता संख्या 39/42 का मुरब्बा नम्बर 3, 16 व 17 की कुल भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 करतार सिंह के नाम से दर्ज 6.792 है0 कृषि भूमि में से 6.072 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 7 इस भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है तथा प्राकृतिक स्नेहवश अपने हिस्सा का परित्याग वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 के हक में करती है। यथा डिक्री जारी हो।

आदेश अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08 जुलाई, 2019 को जारी किया गया।

मुकेश बारैठ
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर